न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 451/2011/223 (2011/00060)

1. श्रीमती सैयदा सुल्ताना बीबी धर्मपत्नि सैयद इफ्तेखार अहमद मियांजी, जाति मुसलमान, निवासी हैदराबाद हाऊस, खादिम मौहल्ला, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती हाफिजन बेवा चांद शाह,
2. जब्बार पुत्र चांद शाह,
3. हसन पुत्र चांद शाह,
4. मुमताज पुत्र चांद शाह,
5. रसीदा पुत्री चांद शाह,
6. फरीदा पुत्री चांद शाह,
7. अब्दुल गफूर पुत्र मोहम्मद शाह फकीर,
8. श्रीमती जमीला पुत्री छोटू शाह पत्नि अब्दुल गफूर फकीर, समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम गेगल, तह0 व जिला अजमेर ।
9. श्रीमती जुबेदा पुत्री छोटू शाह पत्नि कमरूदीन, जाति फकीर मुसलमान, निवासी प्रेमनगर, फाईसागर रोड़, अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
11. वेद प्रकाश पुत्र औमप्रकाश सोमानी, जाति माहेश्वरी, निवासी के0 127, प्रकाश कुंज, कृष्णगंज, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (प्रशि0), अजमेर दिनांक 22.5.2009 अंतर्गत वाद संख्या 03/2006.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री गजेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 7.
3. श्री मुकेश जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 11.
4. रेस्पो0 संख्या 2, 3, 5, 6, 8 व 9 अनुपस्थित ।.
5. अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 व 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 22.3.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (प्रशि0), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 7 लगायत 8 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 तथा 9 एवं राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गेगल स्थित खाता संख्या 91 के खसरा संख्या 691 रकबा 12—05—10 बीघा किस्म बारानी के रिकार्डेड सह खातेदार छोटू शाह व चांद शाह पुत्रान सुभ्राती शाह जाति मुसलमान

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

थे, छोटूशाह का देहांत दिनांक 21.7.1987 को ग्राम गेगल में हो गया जिसने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की सम्पति बाबत् छोटू शाह की पत्नि श्रीमती बशीरन की रजामंदी से अब्दुल गफूर के पक्ष में वसीयत दिनांक 19.7.1987 को रूबरू गवाहान निष्पादित कर दी थी, इस वसीयतनामे के तहत विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा तथा छोटूशाह के मकान व बाडे का हकदार वादी संख्या 1/रेस्पो0 संख्या 7 हुआ लेकिन छोटूशाह की मृत्यु के बाद छोटूशाह की दो पुत्रियां यथा जमीला व जुबैदा में से जुबैदा ने भी 1/4 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि वसीयत के आधार पर उक्त छोटूशाह के हिस्से की सम्पति एवं भूमि के स्वत्व वसीयतग्रहिता अब्दुल गफूर (जमीला के पति) में निहित हो चुके है। प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पो0 संख्या 9 श्रीमती जुबैदा ने पूर्व में भी वाद संख्या 36/89 सहायक जिलाधीश, अजमेर के समक्ष बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था जो उनकी अनुपस्थिति में निरस्त किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में जुबैदा के 1/4 हिस्से की भूमि पर मुखालफाना कब्जे के आधार पर भी वादी संख्या 1 खातेदारी प्राप्त कर चुका है । उक्त वाद पत्र दर्ज करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती जुबैदा के विरूद्ध दिनांक 6.1.2006 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/3 अर्थात् वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 ने वादपत्र को सही होना स्वीकार करते हुए अपने पिता चांदशाह के 1/2 हिस्से की आराजियात का रिकार्ड तथा मौके पर बंटवारा करने का कथन किया । दावे व जवाबदावे के आधार पर कुल चार तनकियात कायम की गई । तत्पश्चात् बाद गवाहान बहस समाहत की जाकर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 7 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 22.5.2009 को डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से की भूमि अपीलांट ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2005 को हिस्से के रिकार्डेड सहखातेदार चांदशाह पुत्र सुब्राती शाह के वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 से 6 से क्रय कब्जा व दखल प्राप्त किया है जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 446 दिनांक 10.3.2006 को तस्दीक किया जाकर वर्किंग जमाबंदी में अमल दरामद किया जा चुका था लेकिन अपीलांट को वाद में पक्षकार कायम किये बिना संपूर्ण आराजी का वाद पत्र डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा है अतः अपीलांट को 1/2 हिस्से की हद तक अपील स्वीकार कर अपीलांट को अधिकार अभिलेख मे 1/2 हिस्से का वर्किंग जमाबंदी की भांति नामांतकरण संख्या 446 के अनुसार पूर्ववत खातेदार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे ।

5. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात में चांदशाह पुत्र सुभ्राती शाह का 1/2 हिस्सा निहित था जो उसके सभी वारिसान द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2005 को अपीलांट को विक्रय कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया जिसके आधार पर अपीलांट के नाम नामांतकरण संख्या 446 दिनांक 10.3.2006 को तस्दीक किया जाकर हल्का पटवारी गेगल द्वारा वर्किंग जमाबंदी में दिनांक 13.3.2006 को अमल दरामद कर दिया गया । इस प्रकार चांदशाह के वारिसान यथा रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 का दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

31.12.2005 को वादग्रस्त आराजियात अपीलांट को विक्रय करने के पश्चात् कोई स्वत्व शेष नहीं रहे, अर्थात् उक्त भूमि में निहित चांदशाह के वारिसान के समस्त काश्तकारी स्वत्वों का अवसर हो गया फिर भी अधी0न्याया0 ने उनको सहखातेदार मानते हुए दिनांक 22.5.2009 को चांदशाह के वारिसान के पक्ष में बंटवारा आज्ञाप्ति पारित कर दी जिसके आधार पर चांदशाह के वारिसान में से मात्र तीन पुत्र यथा रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के नाम उक्त त्रुटिपूर्ण डिक्री के आधार पर नामातकरण संख्या 848 दिनांक 11.10.2010 को तस्दीक किया जाकर दिनांक 12.10. 2010 को अमल दरामद कर दिया गया एवं अपीलांट के नाम खातेदारी हक दर्ज प्रविष्टि को तर्क कर दिया गया । इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 2 से 4 जो जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विवादित भूमि का विक्रय अपीलांट को कर चुके थे उन्हें अधिकार अभिलेख में धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के बाहर जाकर पुनः खातेदार दर्ज कर दिया गया जिससे अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री गैर कानूनी होकर निरस्तनीय है । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 7 लगायत 8 ने बरवक्त प्रस्तुति वाद रिकार्डेड खातेदार श्रीमती हफीजन बेवा चांदशाह तथा रसीदा व फरीदा पुत्रियां चांदशाह को पक्षकार नहीं बनाया । ऐसी स्थिति में विवादित भूमि में निहित उनके स्वत्व कतई नष्ट नहीं हुए फिर भी अधी0न्याया0 ने उनके समक्ष अद्यतन जमाबंदी रिकार्ड पर होने के बावजूद उसे नजरअंदाज करते हुए चांदशाह के उक्त वारिसान को पक्षकार मुर्तिब किये बिना उनके विरूद्ध डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । रेस्पो0 संख्या 2 से 4 ने उनके हिस्से की आराजियात में चांदशाह के शेष वारिसान सहित अपीलांट को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया था एवं उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र का अधिकार अभिलेख में अमल दरामद किया जा चुका था । ऐसी स्थिति मे चांदशाह के समस्त वारिसान के काश्तकार स्वत्व समाप्त हो चुके थे । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 के समक्ष भूमि विक्रय करने के पश्चात् भी बंटवारा हेतु कथन कर वाद पेश करने का अधिकार नहीं था । यही नहीं दौराने वाद अपीलांट को भूमि विक्रय करने के पश्चात् भी उन्होंने अधी0न्याया0 के समक्ष यह खुलासा नहीं किया कि उनके द्वारा भूमि का विक्रय किया जा चुका है एवं क्रेता/अपीलांट के नाम जमाबंदी में अमल दरामद किया जा चुका है । जिससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 2 से 4 ने तथ्य छिपाकर वाद डिक्री करवाया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद डिक्री करने से पूर्व ही श्रीमती जुबैदा पुत्री छोटू शाह द्वारा अपने हिस्से की आराजियात आसिया पत्नि मौ0 शरीफ को विक्रय कर दी थी जिसके आधार पर अपीलांट के नाम नामांतकरण तस्दीक किया जाकर अधिकार अभिलेख में अमल दरामद किया जा चुका था इसके बावजूद अपीलांट को वाद में पक्षकार कायम नहीं किया गया । अधी0न्याया0 ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अदृश्य रूप से सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रयोग करते हुए अपीलांट के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2005 को निरस्त करने जैसा आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो निरस्तनीय है । चांदशाह के 1/2 हिस्से की आराजियात पर अपीलांट क्रय दिनांक से लगातार काबिज काश्त चली आ रही है जिसकी पुष्टि राजस्व एजेन्सी द्वारा तैयार खसरा गिरदावरी संवत् 2064 लगायत 2067 से होती है जिसकी कॉलम संख्या 5 में 1/2 हिस्सा अपीलांट द्वारा संवत् 2064 में ज्वार, 2065 में पड़त तथा 2066 में तिल काश्त करने से होती है । इस प्रकार अपीलांट निर्णय दिनांक को विवादित आराजियात पर काबिज काश्त थी । अधी0न्याया0 ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट को वाद में पक्षकार कायम नहीं किया गया था । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की आड़ में अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रार्थिया का नाम तर्क किया जाकर विक्रेता चांदशाह के वारिसान यथा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 का नाम दर्ज कर दिया गया जिससे अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री से प्रार्थिया के काश्तकारी स्वत्व सीधे प्रभावित हुए है । अपीलांट अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादीगण ने अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी । जबकि अपीलांट जरखरीद आराजियात की रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज थी। हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थिया को निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई जिस पर कानूनी सलाह के आधार पर प्रार्थिया ने डिक्री की पालना में तस्दीक नामांतकरण संख्या 848 दिनांक 11.10.2010 के विरूद्ध जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो विचाराधीन है जिसमें नियुक्त अधिवक्ता ने प्रार्थीया को दिनांक 19.10.2010 को कानूनी सलाह दी कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित है । तत्पश्चात् अपीलांट ने उसी दिन अपील तैयार करवाकर यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमि खसरा नंबर 691 रकबा 12 बिस्वा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि के खातेदार छोटूशाह व चांदशाह पुत्रान सुबराती शाह फकीर मुसलमान ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार थे । छोटूशाह का देहांत दिनांक 21.8.1987 को ग्राम गेगल में हो चुका है । खातेदार छोटूशाह ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पति की वसीयत अपनी पत्नि श्रीमती बशीरन की रजामंदी से वादी/रेस्पो0 संख्या 7 अब्दुल गफूर के पक्ष में दिनांक 19.7.1987 को रूबरू गवाहान निष्पादित कर दी थी । इस वसीयतनामे के तहत 6 बीघा भूमि व छोटूशाह का मकान व बाड़े आदि का हकदार वादी/रेस्पो0 संख्या 7 हो गया था, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती जुबैदा ने नाजायज तौर पर छोटूशाह की मृत्यु उपरांत खसरा नंबर 691 की भूमि का 1/4 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित आराजी पर न तो कोई हक व व ना ही कब्जा काश्त रहा है क्योंकि वह फॉयसागर में निवास करती है । प्रतिवादी संख्या 1 जुबैदा ने पूर्व में सन् 1989 में रेस्पो0 संख्या 7 के विरूद्ध सहायक जिलाधीश, अजमेर के न्यायालय में वाद बंटवारे व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें रेस्पो0 संख्या 7 ने जवाब पेश कर दावे के कथनों से इंकार कर वसीयत के आधार पर इसी विवादित भूमि को अपना होना क्लेम किया था । प्रतिवादी संख्या 1 जुबेदा द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 36/89 जुबेदा की अनुपस्थिति के कारण खारिज हो चुका है जिससे विवादित आराजियात में जुबेदा का कोई हक व अधिकार शेष नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वाद स्वीकार कर वादी को खातेदार छोटूशाह के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जो विधिसम्मत्

निर्णय है । जहां तक मृतक खातेदार चांदशाह के 1/2 हिस्से का प्रश्न है अपीलांट ने विवादित आराजियात चांदशाह के विधिक वारिसान से उसका हिस्सा क्रय किया है । यदि चांदशाह के विधिक वारिसान से क्रयशुदा हिस्से की आराजी बाबत् अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो इसमें रेस्पो0 को कोई आपत्ति नहीं है ।

9. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 11 ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 11 ने विवादित आराजी खातेदारान मु0 हफीजन पत्नि चांदशाह, जब्बार, हसन, मुमताज पुत्रगण चांदशाह, रसीदा, फरीदा पुत्रियां चांदशाह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.7.2013 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । रेस्पो0 संख्या 11 विवादित आराजी का सद्भाविक क्रेता है ।

10. हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

11. अपीलांट/प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया कि वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में अपीलांट पक्षकार कायम नहीं किया था । अपीलांट ने विवादित आराजियात खातेदार चांदशाह पुत्र सुभ्राती का 1/2 हिस्सा चांदशाह के वारिसान से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2005 को क्रय किया था । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की आड़ में अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रार्थिया का नाम तर्क किया जाकर विक्रेता चांदशाह के वारिसान विक्रेता यथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का नाम दर्ज कर दिया गया जिससे अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट/प्रार्थिया को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

12. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 चांदशाह के विधिक वारिसान श्रीमती हाफिजन बेवा चांदशाह, जब्बार, हसन, मुमताज पुत्रान चांदशाह, श्रीमती रशीदा, श्रीमती फरीदा पुत्रियां चांदशाह ने इकबाली जवाब अपील पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात में चांदशाह पुत्र सुभ्राती का 1/2 हिस्सा निहित था । चांदशाह के स्वर्गवास के बाद चांदशाह के वारिसान वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 है जिन्होंने उक्त अपने 1/2 हिस्से की भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2005 का अपीलांट श्रीमती सैयदा सुल्ताना बीबी को विक्रय कर मौखिक बंटवारे अनुसार कब्जा व दखल प्रदान कर दिया तब से अपीलांट सैयादा सुल्ताना उक्त भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है तथा सैयदा सुल्ताना के नाम उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामांतकरण संख्या 446 दिनांक 10.3.2006 को तस्दीक किया जाकर वर्किंग जमाबंदी में दिनांक 13.3.2006 को अमल दरामद भी किया जा चुका है किन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादीगण ने चांदशाह के सभी वारिसान एवं अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे उक्त डिक्री में आधा हिस्सा जवाबकर्ता के नाम दर्ज करने का आदेश एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण रूप से पारित की गई है । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध श्रीमती सैयदा सुल्ताना बीबी द्वारा अपील पेश की गई है जो स्वीकार योग्य है । अतः उक्त अपील स्वीकार की जाकर चांदशाह के 1/2 हिस्से की भूमि का अपीलांट श्रीमती सैयदा सुल्ताना को खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित है तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 की पालना में दर्ज जवाबकर्ता/रेस्पो0 संख्या 1 से 6 का नाम रिकार्ड से तर्क किया जाकर वर्तमान अधिकार अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है जिसमें हम जवाबकर्ता/रेस्पो0 संख्या 1 से 6 को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति व ऐतराज नहीं है बल्कि पूर्ण सहमति है ।

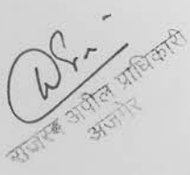

13. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब का अवलोकन एवं मनन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष चांदशाह के समस्त विधिक वारिसान एवं चांदशाह के विधिक वारिसान द्वारा किये गये विक्रय पत्र के क्रेता/अपीलांट को वाद में पक्षकार कायम नहीं किये जाने से उक्त तथ्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सके थे । चूंकि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने अपने इकबाली जवाब में यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा चांदशाह का 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2005 द्वारा अपीलांट सैयदा सुल्ताना को विक्रय कर कब्जा काश्त सुपुर्द कर दिया है। ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा चांदशाह के 1/2 हिस्से बाबत् प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 अब्दुल जब्बार, हसन अली व मुमताज पुत्रगण चांदशाह के नाम जारी डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 तथा धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 संशोधन योग्य पाया जाता है ।

14. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान सहायक कलक्टर, (प्रशि0) अजमेर द्वारा वाद संख्या 3/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.5.2009 में आंशिक संशोधन किया जाकर विवादित आराजियात में मृतक खातेदार चांदशाह के 1/2 हिस्से बाबत् पारित निर्णय में चांदशाह के वारिसान के स्थान अपीलांट श्रीमती सैयदा सुल्तान को विक्रय पत्र के आधार पर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 22.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर